कार्यालय,नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

।। निविदा सूचना ।।

क्र.—40 /निविदा/ मो. प्रति./2018—19

राजनांदगांव,दिनांक 18/ 04 /2019

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में निम्न कार्य हेतु 4500 व 5000 लीटर क्षमता वाले चार चक्का टैंकर मालिक/फर्म/एजेंसी/सप्लायर प्रति ट्रीप दर के आधार पर फार्म "बी" में मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आंमत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिंमाड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि — 03/05 /2018 शाम 5.00 बजे तक
2. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि — 04 /05/2018 शाम 5.00 बजे तक

क्र.	कार्य का विवरण	प्राक्कलन राशि (लाख में)	अमानती राशि (रूपए में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपए में)	समयावधि माह
1	2	3	4	5	7
01	निगम सीमांतर्गत वार्डो में पेयजल परिवहन हेतु चार चक्का टैंकर क्षमता 4500 व 5000 लीटर/प्रति ट्रीप (वाहन,डीजल,चालक, परिचालक सहित)	4.91	5000/-	750.00	02

शर्तेः—

1. सशर्ते निविदा मान्य नही होगी।
2. अमानत राशि का एफ. डी. आर. निविदा के साथ संलग्न करना एंव लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट—छांट या अपलेखन मान्य नंहा किये जावेगें। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरें अंकों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट—छांट या अपलेखन मान्य नंही किये जावेंगें।
5. नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।

6. आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते है, तो निविदा कार्यवाही कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगें। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नही किये जायेंगें।
7. छ.ग. शासन के पत्र क्र. 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
8. वाहन का जीवित पंजीयन/इंश्योरेंस आदि का जवाबदारी निविदाकार का होगा।
9. 4500 व 5000 लीटर क्षमता वाले चार चक्का ट्रैक्टर टैंकर (डीजल, आयल, चालक, हेल्पर मरम्मत कार्य) आदि निविदाकार का होगा।
10. निविदाकार को पेयजल प्रदाय निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी के द्वारा निश्चित किए गए स्थानों में करना होगा।
11. पेयजल प्रदाय परिवहन का लागबुक प्रतिदिन सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
12. कार्य करते समय होने वाली किसी प्रकार की दुर्घटना आदि की संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
13. प्राक्कलन राशि में कार्य की आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत तक की कमी या वृद्धि की जा सकती है एवं ग्रीष्मकाल में आवश्यकतानुसार निर्धारित ट्रीप में भी कमी या वृद्धि की जा सकती है।
14. शासन नियमानुसार देयक करों की कटौती की जावेगी।
15. निविदाकार आवेदन के साथ वाहन का बीमा जीवित पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
16. सफल निविदाकार को श्रम नियम /अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
18. टैंकरों की क्षमता ट्रीप संख्या के आधार पर स्वीकृत दर से भुगतान किया जावेगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम राजनांदगांव का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

18/04/18

आयुक्त,
नगर पालिक निगम , राजनांदगांव

पृ.क्र.—41—/निविदा/ मो. प्रति./2018–19 राजनांदगांव,दिनांक 18/04/2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक जनसंपर्क अधिकारी ,नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी , मोटर प्रतिपालन नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईट में अपलोड किये जाने।
4. कार्यालय———————————————— नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

18/04/18

आयुक्त,
नगर पालिक निगम , राजनांदगांव